धारा 12 : सेवाओं की पूर्ति का स्थान, जहां पूर्तिकार और प्राप्तिकर्ता का अवस्थान भारत में है

(1) इस धारा के उपबन्ध सेवाओं की पूर्ति के स्थान को अवधारित करने के लिए वहां लागू होंगे, जहां सेवाओं की पूर्तिकार का अवस्थान और सेवाओं के प्राप्तिकर्ता का अवस्थान भारत में है।

(2) उपधारा (3) से उपधारा (14) में विनिर्दिष्ट सेवाओं के सिवाय सेवाओं की पूर्ति का स्थान,–

(क) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को की गई है, तो ऐसे व्यक्ति का अवस्थान होगा;

(ख) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से भिन्न किसी भी व्यक्ति को की गई है तो,–

(i) प्राप्तिकर्ता का अवस्थान होगा, जहां अभिलेख पर पता विद्यमान है; और

(ii) अन्य मामलों में सेवाओं की पूर्तिकार का अवस्थान होगा।

(3) सेवाओं की पूर्ति का स्थान,–

(क) किसी स्थावर सम्पत्ति के सम्बन्ध में प्रत्यक्षतः जिसके अंतर्गत वास्तुविद, आंतरिक सज्जाकार, सर्वेक्षक, इंजीनियर और अन्य सम्बन्धित विशेषज्ञ या सम्पदा अभिकर्ता द्वारा प्रदान की गई सेवाएं भी हैं, स्थावर सम्पत्ति के उपयोग का अधिकार प्रदान करने के रूप में दी गई या सन्निर्माण कार्य को करने या उसे समन्वित करने के लिए किसी सेवा का स्थान; या

(ख) किसी होटल, सराय, अतिथि–गृह, गृह–निवास, क्लब या शिविर स्थान द्वारा चाहे जिस नाम से ज्ञात हो, जिसके अन्तर्गत हाउस बोट या कोई अन्य जलयान भी है, वास–सुविधा के रूप में सेवाओं की पूर्ति का स्थान; या

(ग) कोई विवाह या स्वागत समारोह या उससे सम्बन्धित मामलों में आयोजित करने के लिए, शासकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक या कारबार समारोह, जिसके अन्तर्गत ऐसी सम्पत्ति पर ऐसे समारोह के सम्बन्ध में दी गई सेवाएं भी हैं, के लिए किसी स्थावर सम्पत्ति मे वास–सुविधा के रूप में सेवाओं की पूर्ति का स्थान; या

(घ) खंड (क), खंड (ख) और खंड (ग) में निर्दिष्ट सेवाओं की अनुषंगी किन्ही सेवाओं की पूर्ति का स्थान,

वह अवस्थान होगा, जिस पर, यथास्थिति, स्थावर सम्पत्ति या नौका या जलयान अवस्थित है या अवस्थित होना आशयित है :

परन्तु यदि स्थावर सम्पत्ति या नौका या जलयान का अवस्थान भारत से बाहर अवस्थित है या अवस्थित होना आशयित है, तो पूर्ति का स्थान प्राप्तिकर्ता का अवस्थान होगा।

स्पष्टीकरण–जहां स्थावर सम्पत्ति या नौका या जलयान एक से अधिक राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में अवस्थित है, वहां सेवाओं की पूर्ति को प्रत्येक क्रमिक राज्य या संघ राज्यक्षेत्रों में इस बाबत की गई संविदा या करार के निबंधानानुसार सेवाओं के लिए पृथक्तः संगृहीत या अवधारित मूल्य के अनुपात में किया गया समझा जाएगा या ऐसी संविदा या करार के अभाव में ऐसे अन्य आधार पर किया गया समझा जाएगा, जो विहित किया जाए।

(4) रेस्तरां और खानपान सेवाओं, व्यक्तिगत श्रृंगार, स्वस्थता, सौंदर्य उपचार, स्वास्थ्य सेवा, जिसके अन्तर्गत प्रसाधन सामग्री और प्लास्टिक शल्यक्रिया भी है, की पूर्ति का स्थान वह अवस्थान होगा, जहां सेवाएं वास्तविक रूप से दी जाती हैं।

(5) प्रशिक्षण और कार्य–निष्पादन के मूल्यांकन से सम्बन्धित सेवाओं की पूर्ति का स्थान,–

(क) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति का अवस्थान होगा।

(ख) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को प्रशिक्षण और कार्य–निष्पादन के मूल्यांकन से सम्बन्धित सेवाओं की पूर्ति का स्थान वह अवस्थान होगा, जहां सेवाएं वास्तविक रूप से दी जाती है।

(6) किसी सांस्कृतिक, कलात्मक, खेलकूद, वैज्ञानिक, शैक्षणिक, मनोरंजन समारोह या आमोद–प्रमोद बाड़ा या किसी अन्य स्थान में प्रवेश के रूप में दी गई सेवाओं और उसकी सहायक सेवाओं की पूर्ति का स्थान, वह स्थान होगा, जहां वास्तविक रूप से समारोह आयोजित किया जाता है या जहां पर बाड़ा या ऐसा अन्य स्थान अवस्थित है।

(7) निम्नलिखित के रूप में दी गई सेवाओं की पूर्ति का स्थान,–

(क) किसी सांस्कृतिक, कलात्मक, खेलकूद, वैज्ञानिक, शैक्षणिक या मनोरंजन समारोह के आयोजन जिसके अन्तर्गत किसी सम्मेलन, मेला, प्रदर्शनी, अनुष्ठान या इसी प्रकार के समारोहों के सम्बन्ध में सेवाओं की पूर्ति भी है, ऐसे व्यक्ति का अवस्थान होगा; या

(ख) किसी समारोह को आयोजित करने के लिए अनुषंगी सेवाएं या खंड (क) में निर्दिष्ट सेवाएं या ऐसे समारोहों के प्रायोजन का समनुदेशन,–

(i) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को किया जाता है तो ऐसे व्यक्ति का अवस्थान होगा;

(ii) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को किया जाता है तो वह स्थान होगा, जहां समारोह वास्तविक रूप से आयोजित किया जाता है और यदि समारोह भारत के बाहर आयोजित किया जाता है, तो पूर्ति का स्थान प्राप्तिकर्ता का अवस्थान होगा।

स्पष्टीकरण–जहां समारोह एक से अधिक राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में आयोजित किया जाता है और ऐसे समारोह से सम्बन्धित सेवाओं की पूर्ति के लिए संचित रकम प्रभारित की जाती है तो ऐसी सेवाओं के स्थान को इस बाबत की गई संविदा या करार के निबंधनानुसार सेवाओं के लिए पृथक्तः संगृहीत या अवधारित मूल्य के अनुपात में प्रत्येक क्रमिक राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में होने के रूप में लिया जाएगा।

(8) निम्नलिखित को माल के परिवहन, जिसके अंतर्गत मेल या कुरिअर द्वारा भी आते हैं, के रूप में सेवाओं की पूर्ति का स्थान,–

(क) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति का अवस्थान होगा;

(ख) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति को माल के परिवहन, जिसके अंतर्गत मेल या कुरिअर द्वारा भी आते हैं, के रूप में सेवाओं की पूर्ति का स्थान वह अवस्थान होगा, जिस पर ऐसा माल उसके परिवहन के लिए सौंपा जाता है।

[1][.....]

(9) यात्री परिवहन सेवा की पूर्ति का स्थान,–

(क) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति का अवस्थान होगा;

(ख) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति को यात्री परिवहन सेवा की पूर्ति का स्थान, वह स्थान होगा, जहां यात्री निरंतर यात्रा के लिए वाहन पर चढ़ता है :

परन्तु जहां मार्गाधिकार किसी भावी उपयोग के लिए दिया गया है और चढ़ने का बिन्दु

---

1 वित्त अधिनियम, 2023, दिनांक 31.03.2023 द्वारा परंतुक विलोपित। अधिसूचना क्रमांक 28/2023–केंद्रिय कर, दिनांक 31.07.2023 द्वारा इसको दिनांक 01.10.2023 से प्रभावशील किया गया। यह विलोपन के पूर्व इस प्रकार था :

''[A][**परन्तु** यह कि जहां माल का परिवहन भारत से बाहर स्थान के लिए होता है, वहां पूर्ति का स्थान, ऐसे माल के गंतव्य का स्थान होगा।]''

A एकीकृत माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का 32) द्वारा परन्तुक अंतःस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 1/2019–एकीकृत कर, दिनांक 29.01.2019 द्वारा इसको दिनांक 01.02.2019 से प्रभावशील किया गया।

मार्गाधिकार जारी करने के समय ज्ञात नहीं है तो ऐसी सेवा की पूर्ति का स्थान उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार अवधारित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण–इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, वापसी यात्रा को एक पृथक् यात्रा के रूप में समझा जाएगा, चाहे आगे की और वापसी यात्रा का मार्गाधिकार एक ही समय जारी किया गया हो।

(10) किसी वाहन के फलक पर, जिसके अंतर्गत कोई जलयान, कोई वायुयान, कोई ट्रेन या कोई मोटर यान भी है, सेवा की पूर्ति का स्थान यात्रा के लिए उस वाहन के प्रस्थान के पहले अनुसूचित बिन्दु का अवस्थान होगा।

(11) किसी व्यक्ति को दूरसंचार सेवाओं की, जिसके अंतर्गत डाटा ट्रांसफर, प्रसारण, केबल और डायरेक्ट टू होम दूरदर्शन सेवा भी है, पूर्ति का स्थान–

(क) स्थिर दूरसंचार लाइन, लीज्ड सर्किट, इंटरनेट लीज्ड सर्किट, केबल या डिश एन्टिना के रूप में सेवाओं की दशा में वह अवस्थान होगा, जहां दूरसंचार लाइन, लीज्ड सर्किट या केबल कनेक्शन या डिश एन्टिना सेवाओं की प्राप्ति के लिए संस्थापित किया जाता है;

(ख) पश्च संदाय आधार प्रदान की गई दूरसंचार और इंटरनेट सेवाओं के लिए मोबाईल कलेक्शन की दशा में सेवाओं के पूर्तिकर्ता के अभिलेख पर सेवाओं के प्राप्तिकर्ता के बिलिंग पते का स्थान होगा;

(ग) उन मामलों में, जहां दूरसंचार के लिए मोबाईल कनेक्शन, इंटरनेट सेवा और डायरेक्ट टू होम दूरदर्शन सेवाएं, किसी वाउचर या किसी अन्य साधन के माध्यम से पूर्व संदाय आधार पर,–

(i) किसी विक्रय अभिकर्ता या किसी पुनः विक्रेता या सब्सक्राइबर आईडंटिटी मोड्यूल कार्ड या रिचार्ज वाउचर के वितरक के माध्यम से प्रदान की जाती है, वहां पूर्ति के समय पूर्तिकर्ता के अभिलेख के अनुसार विक्रय अभिकर्ता या पुनः विक्रेता या वितरक के पते का स्थान होगा;

(ii) अंतिम सब्सक्राइबर को किसी व्यक्ति द्वारा प्रदान की जाती है वहां वह अवस्थान होगा, जहां ऐसा पूर्व संदाय प्राप्त किया गया है या ऐसे वाउचर बेचे गए हैं;

(घ) अन्य दशाओं में, सेवाओं के पूर्तिकार के अभिलेख के अनुसार प्राप्तिकर्ता का पता होगा और जहां ऐसा पता उपलब्ध नहीं है, वहां सेवाओं के पूर्तिकार का अवस्थान पूर्ति का स्थान होगाः

परन्तु जहां सेवाओं के पूर्तिकार के अभिलेख के अनुसार प्राप्तिकर्ता का पता उपलब्ध नहीं है, वहां सेवाओं के पूर्तिकार का अवस्थान पूर्ति का स्थान होगा :

परन्तु यह और कि यदि इंटरनेट बैंकिंग या संदाय के अन्य इलेक्ट्रानिक पद्धति के माध्यम से ऐसी पूर्व संदाय सेवा प्राप्त की जाती है या रिचार्ज किया जाता है, तो सेवाओं के पूर्तिकार के अभिलेख में सेवाओं के प्राप्तिकर्ता का अवस्थान ऐसी सेवाओं की पूर्ति का स्थान होगा।

स्पष्टीकरण–जहां लीज्ड सर्किट को एक से अधिक राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में संस्थापित किया गया है और ऐसी सर्किट के सम्बन्ध में सेवाओं की पूर्ति के लिए संचित रकम प्रभारित की जाती है, वहां ऐसी सेवाओं की पूर्ति के स्थान को इस बाबत् की गई संविदा या करार के निबंधनानुसार सेवाओं के लिए पृथक्तः संगृहीत या अवधारित मूल्य के अनुपात में प्रत्येक क्रमिक राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में होने के रूप में, या ऐसी संविदा या करार के अभाव में ऐसे अन्य आधार पर, जो विहित किया जाए, लिया जाएगा।

(12) बैंककारी और अन्य वित्तीय सेवाओं की पूर्ति का स्थान, जिसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को स्टाक ब्रोकिंग सेवाएं भी हैं, सेवाओं के पूर्तिकार के अभिलेख में सेवाओं के प्राप्तिकर्ता का अवस्थान होगा :

परन्तु यदि सेवाओं के प्राप्तिकर्ता का अवस्थान पूर्तिकार के अभिलेख में नहीं है, तो पूर्ति का स्थान पूर्तिकार का स्थान होगा।

(13) बीमा सेवाओं की,–

(क) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को पूर्ति का स्थान ऐसे व्यक्ति का अवस्थान होगा;

(ख) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को पूर्ति का स्थान सेवाओं के पूर्तिकार के अभिलेख में सेवाओं के प्राप्तिकर्ता का अवस्थान होगा।

(14) केन्द्रीय सरकार, किसी राज्य सरकार, किसी कानूनी निकाय या किसी स्थानीय प्राधिकरण को संविदा या करार में परिलक्षित राज्यों या संघ राज्यक्षेत्रों के लिए आशयित विज्ञापन सेवाओं की पूर्ति के स्थान को ऐसे प्रत्येक राज्य या संघ राज्यक्षेत्र होने के रूप में लिया जाएगा और प्रत्येक राज्य या संघ राज्यक्षेत्र को ऐसी विनिर्दिष्ट पूर्ति का मूल्य इस बाबत् की गई संविदा या करार के निबंधनानुसार यथा अवधारित क्रमिक राज्यों या संघ राज्यक्षेत्रों में प्रसार के रूप में दी गई सेवाओं के कारण दी गई रकम के अनुपात में होगा या ऐसे संविदा या करार के अभाव में ऐसे अन्य आधार पर, जो विहित किया जाए, होगा।